संख्या- 13/2023/2023/001-412 60 3 2023 सी 1705947

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्या ण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्या ण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि में से उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मा3न कोष हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् आपके पत्र संख्याा-04/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वीक0/2023-24, दिनांक 12.04.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्याा-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणि-02-समाज कल्यालण-103-महिला कल्यानण-10-उत्त र प्रदेश महिला सम्माान कोष के सुसंगत मानक मदों में प्रावधानित कुल धनराशि रू0-56,06,40,000/- (रूपये छप्प्न करोड छः लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0-54,18,15,000/- (रूपये चैव्व,न करोड अठारह लाख पन्द्र ह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षः 2235021031000 (उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल प्रावधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	01-वेतन	42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र)	42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र)
2	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	03-मंहगाई भत्ता	18,90,000 (रुपये अठारह लाख नव्वे हजार मात्र)	18,90,000 (रुपये अठारह लाख नव्वे हजार मात्र)
3	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	04-यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
4	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
5	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	06-अन्य भत्ते	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	07-मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	08-कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
9	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	13-टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
12	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
13	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2,51,00,000 (रुपये दो करोड इक्यावन लाख मात्र)	62,75,000 (रुपये बासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)
14	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	42-अन्य व्यय	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
15	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
16	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			स्टेशनरी का क्रय		
18	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	49-चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
19	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	55- मकान किराया भत्ता	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
20	049	2235021031000 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
कुल				**रू0-56,06,40,000/- (रूपये छप्पन करोड छः लाख चालीस हजार मात्र)**	**54,18,15,000 (रुपये चौवन करोड़ अठारह लाख पंद्रह हजार मात्र)**
महायोग				54,18,15,000 (रुपये चौवन करोड़ अठारह लाख पंद्रह हजार मात्र)	

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 13/2023/ /2023/001-412 60 3 2023 ब् 1705947, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, योजना भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।